## बिहार सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

## कार्यालय— प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार (पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि संभाग)

## संविदा पर नियोजन हेर्तु विज्ञापन

जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के निमित्त राज्य अंतर्गत जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों/योजनाओं का अनुश्रवण तथा योजना निर्माण आदि में विभिन्न विभागों को सहयोग करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार के अधीन जलवायु परिवर्तन संभाग की स्थापना की गयी है। संभाग अंतर्गत निम्नवत् पदों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन हेतु योग्य एवं अनुभवी अहर्ता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्र.	पदनाम एवं	_	अधिकतम	
सं.	पदों की संख्या	अहर्ता	जावकरान <b>उम्र</b>	मानदेय
1	Senior Advisor, Climate Change	<ul> <li>♦ Essential</li> <li>○ Educational: Post-graduation in Environmental Science/ Environmental Management / Forestry/ Environmental Engineering or Technology/ Natural Resource Management.</li> </ul>	65 years	रू. 1,50,000/- प्रति माह
	01 - General	<ul> <li>○ Professional:</li> <li>□ At least 14 years of experience in the subjects mentioned above with minimum ten years in activities related to climate change, ecosystem studies, environmental conservation, analyzing impact designing strategies, programmes and establishing system for environmental impact assessment.</li> <li>□ At least five years of experience in managing programmes</li> </ul>		Person having Pension Benefit: The payment will be made after
		and projects at the state or national or international levels as head of the Programme.  Experience in working and coordinating with various government department, non-governmental agencies, Government of India and other national and international agencies		deducting the amount of pension from last drawn salary.
		<ul> <li>□ Exposure and experience of working within Government set up at State or National levels.</li> <li>□ Experience of working in state/national level large scale projects.</li> <li>➡ Desirable</li> <li>□ PhD in engineering/science related to any of the abovementioned disciplines;</li> <li>□ Honours, awards, discourses, recognized publications in the</li> </ul>		
2	State Programme Coordinator 01 - General	<ul> <li>Desirable</li> <li>Proven experience in managing programmes and projects at the state or national or international and international agencies, nongovernmental agencies, Government and agencies, nongovernmental agencies and projects</li> <li>Proven team leadership experience and ability to represent team. Excellent communication and projects</li> </ul>	General (Male)- 40 years, BC/ EBC (Male & Female)- 43 years, General (Female)- 43 years, SC/ ST (Male & Female)- 45 years	रू. 85,000/- प्रति माह
		Ability to prepare well researched projects.  Experience in estimation, planning, scheduling, cost control, resource allocation, budget management, quality management and documentation within administrative system.		,

	D	A E	General	रू. 85,000/-
3	Procurement & Finance	Essential	(Male)- 40	•
		o Educational: MBA or equivalent in Finance from a	years,	प्रति माह
	Expert	recognised & premier institute/CA/ICWA.	BC/ EBC	
	01 - General	o Professional: Atleast 6 years of experience in handling	(Male &	
	01 - General	national/international funded projects, internal audit.	Female)-	
		◆ Desirable	43 years,	
		☐ Experience of preparing proposals for funding from	General	
		external agencies.	(Female)-	
		☐ Experience of procurement under international funding.	43 years,	
		☐ The applicant should have a good knowledge of the subject	SC/ ST	
		area. The knowledge of computer application and MS office	(Male &	
		will be an added advantage.	Female)-	
		☐ Experience in climate change domain will be an added	45 years	
		advantage		
4	Technical	◆ Essential	General	रू. 75,000/-
	Expert -	o Educational: Post-graduation (M.Sc., M. Tech., M.E or	(Male)- 40	प्रति माह
	Forestry &	equivalent) in Forestry/ Environmental Science/	years,	
	Bio-	Environmental Management/ Natural Resources	BC/ EBC	
	Diversity/	Management/ Forestry Management/ Limnology/	(Male &	
	Wetland and	Biodiversity/ Ecology.	Female)-	
	Ecology/	o Professional: At least 4 years of experience in any of the	43 years,	
	Climate	subjects mentioned above and atleast one year preferably in	General	
	Finance/	activities related to climate change and environment,	(Female)-	
	Pollution	preferably in Bihar. Excellent written and oral	43 years,	
		communication skills in English and Hindi.	SC/ ST	
	Total - 04	◆ Desirable	(Male & Female)-	
	{General-01,	☐ Specific courses and trainings on monitoring and evaluation	45 years	
	EBC- 01,	(M&E), carbon disclosures, climate finance and	45 years	
	General	sustainability reporting.		
	(Female) - 01,	Working with various government departments and		
	SC- 01}	agencies, national and international agencies, and climate		
		change related programmes and projects;		
		Working on M&E systems for development projects and		
		programmes; climate modelling, GIS and Remote Sensing.		

## नियोजन की शर्तें एवं प्रक्रिया

- (i) अनुबंध सेवा 02 वर्ष के लिए एकरारनामा के आधार पर की जायेगी, जो वर्ष की समाप्ति के पूर्व आवश्यकता एवं संतोषप्रद सेवा रहने के आधार पर प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी।
- (ii) 03 वर्ष बाद मानदेय पुनरीक्षण पर गठित समिति द्वारा निर्णय सक्षम स्तर से लिया जायेगा।
- (iii) मासिक पारिश्रमिक की राशि में EPF सेवक तथा नियोजक के अंशदान सम्मिलित हैं। निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (iv) अनुबंध सेवा अविध में राजपत्रित अवकाश के अलावे मुख्यालय स्तर के संविदा किर्मियों को 12 दिनों तथा क्षेत्रीय स्तर के संविदा किर्मियों को 16 दिनों का आकिस्मिक अवकाश देय होगा। वर्ष में प्रत्येक माह की सेवा पर दो दिन के दर से उपार्जित अवकाश अनुमान्य होगा, परन्तु अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के लिए नकदी भुगतान देय नहीं होगा।
- (v) सरकारी कार्य पर यात्रा व्यय समतुल्य स्तर के सरकारी कर्मी के लिए अनुमान्य दरों की अधिसीमा तक अनुमान्य होगा।
- (vi) अनुबंध सेवा—अविध हेतु अधिकतम आयु सीमा :
  - (a) वरीय परामर्शी, जलवायु परिवर्तन के पद पर सेवा—अवधि हेतु अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष की होगी।
  - (b) राज्य कार्यक्रम समन्वयक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विशेषज्ञ, ज्ञान प्रबंधन एवं क्षमता निर्माण विशेषज्ञ, क्रय एवं वित्त विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ एवं तकनीकी सहायक के पद पर सेवा—अविध हेतु अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष की होगी।
- (vii) यह नियोजन पूर्णतः अस्थाई होगा तथा भविष्य के लिये नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बन सकेगा।
- (viii) इन पदों पर चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा। योग्य आवेदकों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा। साक्षात्कार हेतु उपस्थित उम्मीदवारों को किसी प्रकार का TA/DA देय नहीं होगा।

3/2

- (ix) आवेदकों को आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को रू. 500/—, बिहार राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति उम्मीदवारों को रू. 125/—, बिहार राज्य की सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों को रू 125/— तथा अन्य सभी श्रेणियों को रू. 500/— का डिमांड ड्रॉफ्ट, जो Payable at Patna हो तथा Principal Chief Conservator of Forests, Bihar के नाम से देय होगा, आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (x) इच्छुक एवं अर्हता प्राप्त आवेदक विभागीय वेबसाईट http://www.forest.bih.nic.in पर Online Application हेतु दिये गये लिंक से अपना रिजस्ट्रेशन दिनांक 27.12.2019 (05:00 PM IST) तक कर सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन पूर्ण रूप से भरकर उसे Submit करने के उपरांत उत्पन्न हुए PDF Form का Print Out लेकर उसपर Photo एवं हस्ताक्षर अंकित करते हुए सभी संबंधित दस्तावेजों को स्वअभिप्रमाणित के रूप में संलग्न कर दिनांक 06.01.2020 (सोमवार) तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से विज्ञापनदाता कार्यालय (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि, कमरा संख्या 314, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खान मार्ग, पटना— 800014) में भेज सकते हैं। इस तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।
- (xi) नियोजन समिति द्वारा विभिन्न कोटियों के योग्य उम्मीदवारों के चयन के पश्चात् नियोजन संबंधी आदेश निर्गत किया जायेगा।
- (xii) निर्धारित अर्हता एवं योग्यता प्राप्त व्यक्तियों के नहीं मिलने, इनके नियोजन या मानदेय निर्धारण से संबंधित अथवा किसी अन्य प्रकार की कठिनाई होने की स्थिति में समिति द्वारा कठिनाईयों के निवारण हेतु निर्णय लिया जा सकता है।
- (xiii) इस नियोजन से संबंधित विवाद के अपील के निपटारे के लिए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि, बिहार, पटना सक्षम विभागीय पदाधिकारी होगें एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।
- (xiv) अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को उनके पूर्व के अन्तिम कार्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण-पत्र कार्यालय प्रधान स्तर से निर्गत कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (xv) नियोजनकर्ता के पास किसी आवेदन को रद्द करने, नियोजन को स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(नोट : Premier Institute से तात्पर्य है, वैसे संस्थान जो संबंधित विषय में Ministry of Human Resource Development द्वारा संचालित National Institutional Ranking Framework (NIRF) के नवीनतम रैंकिंग में 75वें रैंक के अन्दर आते हो।)

मुख्य वन संरक्षक—सह— राज्य नोडल पदाधिकारी, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आर्द्रभूमि